<u>न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद-अयोध्या।</u>

पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र मोहन सहाय, ...उच्चतर न्यायिक सेवा ।

(J.O. Code: UP6117)

दाण्डिक निगरानी सं० 08/2026

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन सं 04/2026

CNR No. UPFZ01-000095-2026

कृष्ण मोहन आयु लगभग 45 वर्ष पुत्र स्व० कान्ती प्रसाद निवासी श्री राम चिकित्सालय के सामने क्षीरसागर अयोध्या थाना कोतवाली अयोध्या जनपद अयोध्या।

----------**निगरानीकर्ता।**

बनाम

1- सरकार उ०प्र०

2- लालमणि पुत्र श्री कृष्णराम शुक्ल निवासी छेदिया सराया थाना तरबगंज जिला गोण्डा

----------**विपक्षीगण।**

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, अतिरिक्त न्यायालय फैजाबाद, द्वारा परिवाद सं० 2294/2018 बउन्मान कृष्ण मोहन व लालमणि, अन्तर्गत धारा- 138 एन०आई० एक्ट, में पारित आदेश दिनांकित 28.08.2023 के क्षुब्ध होकर संस्थित की गई है। उक्त आदेश को अतिरिक्त न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

2. संक्षेप में निगरानी के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी का वाद दिनांक 28.08.2023 को परिवादी की अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया। प्रार्थी पुनरीक्षणकर्ता गम्भीर रूप से बीमार हो जाने के कारण दिनांक 25.08.2023 से 02.08.2024 तक बिस्तर पर रहा है। प्रार्थी समय से अपने अधिवक्ता को भी अपनी बीमारी की सूचना नहीं दे सका, जिससे वाद अदम पैरवी में निरस्त गया है। प्रार्थी अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुआ था कि दिनांक 28.08.2024 को अपने अधिवक्ता से मिला और जानकारी किया और दिनांक 29.08.2024 को नकल के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जो उसे दिनांक 07.09.2024 को प्राप्त हुई। प्रार्थी का वाद पुर्नियोजित न होने की दशा में प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। विद्वान अवर न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रार्थी को अन्य कोई उपशम उपलब्ध नहीं है। अवर न्यायालय ने अपने विधिक अधिकारों के विरुद्ध जाकर आदेश पारित किया है, जो विधि व तथ्य के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी वाद निरस्त होने के पूर्व से ही बीमार होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ रहा है। इसलिए वाद कारण दिनांक 28.08.2023 के पश्चात उत्पन्न होने से प्रार्थी की पूर्व की अस्वस्थता के कारण पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र समय सीमा के अन्तर्गत ही है। विद्वान

Digitally signed by Surendra Mohan Sahay
Date: 2026.06.27 16:41:02 NPT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अवर न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 28.08.2023 निरस्त करके मामले को गुणदोष पर निस्तारित करने के आदेश देने की याचना की गयी है।

3. विपक्षी सं० 2 लालमणि द्वारा आपत्ति कागज सं० 13 ब दाखिल कर कथन किया गया है कि प्रार्थी का वाद पुर्नियोजित होने योग्य नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा आदेश अपने में महत्वपूर्ण है, ऐसी दशा में वाद श्रीमान् जी के यहां चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपने में काफी प्रभावशाली है, जो सर्वथा पुनरीक्षणकर्ता का वाद निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपने में काफी महत्वपूर्ण है, जो वाद चलने योग्य नहीं है। विपक्षी सं० 2 के विरूद्ध वाद उमा जो संस्थित किया गया है, उसका वाद माननीय न्यायालय गोण्डा से निस्तारित हो चुका है, जिसकी नकल मय फेहरिस के साथ संलग्न किया गया है। उमा वाद के बाबत मुकदमा एक ही न्यायालय व जनपद में चल सकता है न तो दो न्यायालय व दो जिलो में चलेगा, ऐसी स्थिति में वाद स्वतः निरस्त होने योग्य है। पुनरीक्षणकर्ता का वाद उपरोक्त कथनों के आधार पर निरस्त करने की याचना की गयी है।

4. विपक्षी सं० 2 लालमणि की ओर से अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम महोदय गोण्डा, जिला गोण्डा प्रकीर्ण वाद सं० 498/2019, मु०अ०सं० 66/2018 कृष्ण मोहन पाण्डेय बनाम कृपाराम शुक्ला आदि मूल प्रति लिपि व FIR की छायाप्रति पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये हैं।

5. उभयपक्षों के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

6. अवर न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि परिवाद सं०- 2294/2018 अन्तर्गत धारा 138 एन० आई० एक्ट में पारित आदेश 28.08.2023 के विरुद्ध निगरानी योजित की गयी। प्रश्नगत आदेश के तहत अवर न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद कृष्ण मोहन बनाम लालमणि परिवादी की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि अवर न्यायालय में विचाराधीन परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण नहीं हुआ है। प्रस्तुत परिवाद की पैरवी में अनुपस्थिति का कारण निगरानी में स्पष्ट किया गया है। निगरानी योजित करने में हुए विलम्ब को न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2025 को विलम्ब क्षमा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आदेश 28.08.2023 निरस्त कर धारा 138 एन० आई० एक्ट के वाद कृष्ण मोहन बनाम लालमणि का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जाना

उचित व न्यायसंगत है। इस कारण प्रस्तुत फौजदारी निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। विपक्षी सं० 2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का आधार औपचारिक है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत फौजदारी निगरानी सं० 08/2026 कृष्ण मोहन बनाम सरकार आदि स्वीकार किया जाता है। अवर न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या 2294/2018 कृष्ण मोहन बनाम लालमणि आदि अन्तर्गत धारा 138 एन०आई०एक्ट में पारित आदेश 28.08.2023 अपास्त कर मामले को गुणदोष पर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। उभपक्ष अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.07.2026 को उपस्थित हो। आदेश की प्रति के साथ पत्रावली अवर न्यायालय को प्रेषित हो।

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
J.O. Code: UP6117
दिनांक 27-06-2026 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अयोध्या।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
J.O. Code: UP6117
दिनांक 27-06-2026 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अयोध्या।